सुभाष / गुलझारी - 122/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
12/6/25	पत्रावली पेश। प्रस्तुत प्रकरण में वकील अपीलांट ने आदेश 6 नियम 17 CPC का आवेदन प्रस्तुत किया। प्रा.पत्र पर स्वयं अपीलांट के व अधिवक्ता रेलवे के हस्ताक्षर हैं। प्रा.पत्र के इस अपील के साथ पढ़ा जायेगा। प्रा.पत्र के अपील के साथ लेकर निर्णय करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली के रेलवे के अभिभाषक की बहस पूर्व के प्रतीक्षित। अपीलांट की बहस हेतु आज। पर्याप्त समय दिया। पुनः ही न्यायहित के अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वादी की बहस अंतिम दिनांक 24.6.25 को पेश हो।	
24.6.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सायंकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •